



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी 2025—पौष 24, शक 1946

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2025

क्र. एफ 22-02-2019-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसे गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों, जो जीवनकाल मोटरयान कर संदाय के दायी हैं और जिनका वर्ष 2024-2025 की कालावधि के दौरान ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययन रहते हुए प्रदान की जाएगी, अर्थात् :-

1. ऐसे गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों को, विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2024-2025 में ग्वालियर व्यापार मेला की मेला कालावधि के दौरान विक्रय किया जाए।
2. छूट केवल विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर में स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी।
3. ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा ग्वालियर में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने को अनुमत किया जाएगा।

No. F-22-02-2019-VIII.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides exemption of 50% on the rate of Lifetime Motor Vehicle Tax payable on such Non-Transport Vehicles (Motor Cycle, Motor Car, Omni Bus for private use) and light Transport Vehicles which are liable to pay Lifetime Motor Vehicle Tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela, during the period of year 2024-25. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions, namely:-

1. 50% exemption in Lifetime Motor Vehicle Tax shall be given to the Non-Transport Vehicles (Motor Cycle, Motor Car, Omni Bus for private use) and Light Transport Vehicles which are sold during the period of Gwalior Vyapar Mela in the year 2024-25.
2. Exemption shall be given only on permanent registration of sold vehicles in Regional Transport Office, Gwalior.
3. Automobile dealers coming from outside of Gwalior shall be allowed to sell vehicles only after obtaining Trade-Certificate from the Regional Transport Office, Gwalior and ensuring their physical presence in the Mela premises in Gwalior.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, सचिव.